भ ारतसरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5716
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीयों को सहायता

5716. **श्रीमती रचना बनर्जीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विदेश, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे अपने प्रवासी लोगों की सहायता के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जाने की संभावना है; और
(ख) सरकार विशेषकर वैध प्रवासन मार्गों को बढ़ाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को होने वाले जोखिम को कम करने के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका की नई आप्रवासन नीति से दीर्घवधि में किस प्रकार से निपटने की योजना बना रही है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत सरकार, विदेशों में स्थित अपने राजनयिक मिशनों/केंद्रों के माध्यम से, आवश्यक कोंसली सेवाएं एवं कानूनी सहायता प्रदान करके, विदेशों में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय लोगों को सहायता और सहयोग प्रदान करती है। भारतीय दूतावास और कोंसलावास, हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कोंसली पहुँच की मांग करते हैं। विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है ताकि संकट में फंसे और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे प्रवासी भारतीय नागरिकों को, योग्य मामलों में साधन परीक्षण आधार पर सहायता प्रदान की जा सके। विदेश स्थित भारतीय मिशन और केंद्र, अपने पैनलबद्ध वकीलों के माध्यम से, आवश्यकतानुसार कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के समक्ष आने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या कानूनी चुनौती संबंधी मामले को विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों द्वारा तुरंत मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा और उनसे उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। जब कभी ऐसे मुद्दे उत्पन्न होते हैं, उन्हें संबन्धित देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में उठाया जाता है, जिनमें, यथा समीचीन उच्चतम स्तर की बैठकें भी शामिल है।

प्रवासी भारतीय सदस्यों की चिंताओं का समाधान टेलीफोन कॉल, वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, ओपन हाउस और मदद पोर्टल के माध्यम से लगभग वास्तविक समय के आधार पर किया जाता है।

(ख) जहां तक अवैध प्रवास का संबंध है, भारत सरकार की यह नीति है कि अन्य देशों के साथ ऐसे पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सुरक्षित आवाजाही ढांचे पर बातचीत की जाए, जो छात्रों एवं पेशेवरों की कानूनी आवाजाही को व्यवस्थित करे और अल्पकालिक पर्यटन एवं व्यावसायिक यात्रा को सुविधाजनक बनाए तथा गैरकानूनी कार्यों में लिप्त लोगों, आपराधिक गतिविधियों में सहायता प्रदाताओं और अवैध आव्रजन नेटवर्क के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके अवैध आव्रजन और मानव तस्करी संबंधी मामलों का समाधान भी करे। ऐसे मामलों में, सरकार द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की हाल की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने विश्व को एक वैश्विक कार्यस्थल के रूप में विकसित किए जाने को रेखांकित किया तथा अवैध आव्रजन नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों देशों के बीच सुरक्षित और पारस्परिक रूप से लाभकारी आवाजाही ढांचे को सुविधाजनक बनाने का आह्वान किया।

*****